कार्यालय जिला परिषद्, मुजफ्फरपुर

शिक्षक नियोजन 2015–16

(प्रेस विज्ञप्ति)

जिला परिषद् उच्चतर माध्यमिक शिक्षक नियोजन 2015–16 के अन्तर्गत कम्प्यूटर साईंस एवं संगीत शिक्षक के कोटिवार रोस्टर के अनुरूप चयनित सूची प्रकाशित किया जा रहा है। चयनित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 24.01.2016 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 03.00 बजे तक **इन्टर स्तरीय बी. बी. कॉलेजिएट, मोतीझील, मुजफ्फरपुर** में निर्धारित काउन्टर पर सहमति –पत्र भरवाया जायेगा तथा सहमति के उपरान्त विभागीय नियमावली के आलोक में नियोजन की कार्रवाई की जाएगी।

चयनित अभ्यर्थी निम्नांकित प्रमाण–पत्र साथ लायेगें :–

01. प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी/नोटरी पब्लिक से विभाग द्वारा जारी विहित प्रपत्र में शपथ–पत्र मूल रूप में जमा लिया जायेगा। शपथ–पत्र का प्रारूप एन०आई०सी० बेवसाइट muzaaffarpur.bih.nic.in पर देखा/डाउनलोड किया जा सकता है।
02. एस.टी.ई.टी का अंक पत्र एवं प्रवेश–पत्र मूल रूप में जमा ले लिया जायेगा।
03. सहमति पत्र काउन्टर पर ही भरवाया जायेगा।
04. स्नातकोत्तर उत्तीण संस्थान की मान्यता का प्रमाण–पत्र अभ्यर्थी को स्वयं देना अनिवार्य होगा।
05. आवेदन–पत्र जमा करने की प्राप्ति रसीद एवं कॉउन्सिलिंग में प्राप्त कराया गया रसीद की मूल प्रति ले लिया जायेगा।
06. जाति प्रमाण–पत्र एवं क्रिमीलेयर प्रमाण–पत्र की छाया प्रति (जिन्हें आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है)
07. ऐसा कोई भी प्रमाण–पत्र जिसे कॉउन्सिलिंग के समय जमा नहीं किया गया हो, उसे जमा करना अनिवार्य है।

इसके अतिरिक्त कम्प्यूटर साईंस विषय में श्रीमती कुमारी अनुपम ने आपत्ति निराकरण की निर्धारित तिथि के अन्दर अपनी आपत्ति दर्ज कराई, मगर इनकी एम.सी.ए. के साथ पी.जी.डी.सी.ए. के उपस्थापित प्रमाण–पत्र अस्पष्ट रहने के कारण आपत्ति आवेदन को अस्वीकृत कर दिनांक 13.01.2016 के प्रकाशित अंतिम मेधा सूची में इनका नाम रद्द सूची की श्रेणी में रखा गया। परन्तु इनके द्वारा पुनः दाखिल आपत्ति की जॉच के दौरान यह पाया गया कि एम.सी.ए. के साथ पी.जी.डी.सी.ए. प्रमाण–पत्र (इग्नू) का पठनीय छाया प्रति उपस्थापित किया गया, जिसका मिलान मूल प्रमाण–पत्र से किया गया जो नियमानुसार सही है।

अतः इनकी आपत्ति को स्वीकृत करते हुए इन्हें दिनांक 18.01.2016 के कॉउन्सिलिंग में शामिल कर तथा इन्हें भी मेधा के आधार पर चयनित सूची में सम्मिलित किया गया है।

जिला परिषद् उच्चतर माध्यमिक शिक्षक नियोजन सेवा शर्त एवं नियमावली 2006/2008/2012 एवं संशोधित नियमावली 2014 के आलोक में नियोजन हेतु निर्धारित तिथि एवं समय के बाद आने वाले अभ्यर्थियों के किसी भी दावा पर विचार नहीं किया जाएगा। अतएव निर्धारित समय पर अभ्यर्थी का आना अनिवार्य है।

20/1/XVI			21/01/16	21/01/16
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), मुजफ्फरपुर (सदस्य)	जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर (आमंत्रित सदस्य)	जिला आपूर्ति पदाधिकारी मुजफ्फरपुर (मनोनित सदस्य)	उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद मुजफ्फरपुर (सदस्य सचिव)	अध्यक्ष जिला परिषद, मुजफ्फरपुर